

राज्याधीन स्थाओं के कार्यों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण - पत्र
(वर्ष 2021) के लिये दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार)।

2 तबका स्वतन्त्रता की छंकी
4 वर्तमान बतनाम 1,28,500 = 20

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा भुवन चन्द काष्ठपाल
वर्तमान वर्गित पत्र सहायक अभियन्ता

क्रम सं०	जिला तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्थानी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिले के नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/ लीज/ बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गई	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित त मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्य जिसे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला - मैत्रीताल तहसील - हल्द्वानी शहर - हल्द्वानी	भूमि 40' x 65' = 2600 वर्ग फीट = 242 वर्ग मी	स्वयं के नाम	हस्त की गर्मी श्री हरिऔदन भागवाल	4/2012	6.05 लाख	लगभग 75.00 लाख	भूमि	—

स्थान भल्लोडा
दिनांक —

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम भुवन चन्द काष्ठपाल
पदनाम सहायक अभि-
विभाग प्रथम कक्षा लेफ्टिनेंट कालोडा

टिप्पणी

- अपी के एच के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को तलाक होने वाले कालेन्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्पत्ति विपुक्ति/ नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय किन्तु अन्य श्रेणियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष के प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिग्रहण/ कमी हुई हो तो तदनुसार अधिग्रहण/ कमी के उपरान्त 01 जनवरी की वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिग्रहण/ कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही मूल-विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय परत/ अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो सन् 8 में मूल मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य में क्रय कर दूर भवन का निर्माण किया गया हो तो सन् 2 में भवन एवं मूल्य की मूल्य-मूल्य अंकित करने हुए तदनुसार सन् 3 में भूमि तथा भवन निर्माण का लागत का भी मूल्य-मूल्य अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा अपने उप-अधिकृत कर्तव्य के अन्य तबकों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति की जाय।

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- पदमेन्द्र सिंह बर्वाल

2- श्रेणी 'ख'

3- वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

4- वर्तमान वेतनमान- 123000-215900

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० लाख में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून (नन्धनपुर)	0.0486 है०	स्वयं के नाम	श्री श्याम गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, निवासी बट्टीपुर से क्रय	11.06.1996	1.80	50.00 लाख	1.20	स्वयं का मकान स्थित है।
देहरादून (मोथरोवाला)	0.0299 है०	स्वयं के नाम	श्री सेवाराम, श्री मेघपाल सिंह, श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री रतिराम, ग्राम-मोथरोवाला	30.07.2007	3.54	10.00 लाख	-	-
देहरादून (बालावाला)	0.0028 है०	स्वयं के नाम	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, मौजा-बालावाला	04.07.2008	0.80	5.00 लाख	0.40	दुकान स्थित है।
देहरादून (डोईवाला) मारखम ग्रान्ट	0.3135 है०	श्रीमती अनसुया बर्वाल/पत्नी	श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री करण सिंह चौहान, ग्राम बाजावाला	21.02.2011	10.50	40.00 लाख	0.25	खेती योग्य (कृषि) भूमि
देहरादून, कालीमाटी	0.0400 है०	श्रीमती अनसुया बर्वाल/पत्नी	श्री रतन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह ग्राम-बड़ासीग्रान्ट	28.02.2018	6.98	12.60 लाख	-	-तदै-

स्थान:- देहरादून

दिनांक:- 08.04.2022

हस्ताक्षर:-

अधिकारी का नाम:- पदमेन्द्र सिंह बर्वाल

पदनाम:- सहायक अभियन्ता

विभाग:- क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून

टिप्पणी:-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत क जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हो तो तदनुसार अधिव्य/ कमी व उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वर किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार जो अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद आदित्य नाथ ठाकुर
सहायक अभियंता

2. संवर्ग 20
4. वर्तमान वेतनमान

1. तहसील और राज्य या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अध्वुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आदित्यानगर उत्तर प्रदेश	220 म ² 947 पाने साइकूपुट पिन 201 001 Area 41-80 Sqm	Shakuntala Thakur (Mother)	क्रम	2008	4.00	20 Lac	शुद्ध	
अंतरा नगर दिल्ली 110055	A-17 24अम नं० 9/16/1 क्रिष्ण गार्डन	आदित्य नाथ ठाकुर बिंजना ठाकुर	क्रम एवं बंधक	Aug 2017	22 Lac	35 Lac	शुद्ध	

स्थान- गिरधौर
दिनांक- 27 Jan 2022

हस्ताक्षर 27 Jan 21
अधिकारी का नाम ADITYA NATH THAKUR
पदनाम ASSISTANT ENGINEER
विभाग PWD

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कम की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कम मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कम कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021) के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सुरेश बाबू पाल
वर्तमान धारित पद प्रभारी सहायक अभियन्ता

2. संगण रख
4. वर्तमान वेतनमान 56100 - 177500 2008

1. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अम्बुक्ति
जनपद:- देहरादून तहसील:- देहरादून	भूमि + भवन (2625 वर्ग फीट)	नीलम परमार (पत्नी)	भूमि क्रय	भूमि क्रय वर्ष 2010	10.00 लाख	भूमि + भवन (10 लाख + 50.00 लाख) = 60.00 लाख	1.50 लाख प्रति वर्ष	बैंक से 10% हमें अर्जित निधि से पैसे निकालकर भवन का निर्माण कराया गया

स्थान:- गैरसेवा
दिनांक:- 15/11/2022

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम सुरेश बाबू पाल
पदनाम प्रभारी सहायक अभियन्ता
विभाग कोरिडोर वि०

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021)

के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद

ललित सिंह अधिकारी
सहायक अभियंता

2
4

सर्ग
वर्तमान वेतनमान

26
56100 - 177500

1. तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम-दमतादुआ तहसील-हल्दी जिला-बैतूल	भूमि-1820 + भवन	स्वयं	भूमि क्रय	2017	6 लाख	7 लाख + 40 लाख	25-26	अचल सम्पत्ति बैंक से ले- लेना किया वर्तमान में बैंक का लोन लागू है,

स्थान- गोंदखोरा

दिनांक- 15/1/22

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम ललित सिंह अधिकारी

पदनाम सहायक अभियंता

विभाग लो० वि० वि०

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर या समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कर्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021-22 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- संजय नवानी

2. सर्वग- ख

3. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियंता

4. वर्तमान वेतनमान- 56100 - 177500 (Level 10)

जिला, तहसील और गांव या शहरी जिल्ले में सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने के माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पिला देहरादून	आवासीय भूमि (0.0175 हे०)	संजय नवानी	कय	18/03 2019	26,00,000/-	26,00,000/-	—	—

स्थान Thane
दिनांक 31/01/2022

हस्ताक्षर 
अधिकारी का नाम- संजय नवानी
पदनाम- सहायक अभियंता
विभाग- शहरी निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, धनूच

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित अभ्युक्ति/निर्वाहक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष व उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई प्राधिकार/कमी हुई हो तो तदनुसार प्राधिकार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई प्राधिकार/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गयी हो तो सम्पन्न 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाये और यदि खण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो सम्पन्न 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार सम्पन्न 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - इं० निक्की बाला
3. वर्तमान धारित पद - सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग - तकनीकी

4. वेतन बैंड - 56100.00-177500.00 (Level 10)

बेसिक पे - 65,000.00

जिला, तहसील और नॉड या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम में हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (ग्रहण/लौक/बैंक/उत्तराधिकार/उपहास/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	मेरे नाम पर किसी भी प्रकार चल-अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं की गई है।

स्थान :- पौड़ी गढ़वाल

दिनांक :- 31.03.2022

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम :- निक्की बाला

पदनाम :- सहायक अभियन्ता

विभाग :- 12वीं वृत्त, लीडिंगवि०, पौड़ी।

टिप्पणी :

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किये गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आवेष्टित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामकाज के द्वारा अवलम्बित सम्पत्ति का विवरण

(वर्ष 2021-2022 के लिए दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - पूरन चन्द्र पन्त

2. संवर्ग - तकनीकी

4. वर्तमान वेतनमान 1,23,100-2,15,900 मूल वेतन 1,38,500=00

वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

1. तहसील और गाँव/शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	2. सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय लीज/बचक/उत्तराधिकारी उपहार/अभियन्ता का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	5. सम्पत्ति अर्जित करने तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (₹0 में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	9. अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाल/हल्द्वानी रिया नं. 1	आवासीय भूमि 316.13 वर्ग मीटर अथवा 0.032 हे०	स्वयं के नाम	क्रय श्रीमती गिरजा जोशी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जोशी 6-333 कलावली पन्त कालौनी हल्द्वानी	23/01/2003	1,90,000=00	50,00,000=00	-	आवासीय भू-खण्ड वर्ष 2003 में क्रय किया गया। वर्तमान में भवन निर्माण का कार्य कर लिया गया है।
खर/काण्डा ग्राम तेली	कृषि भूमि 10 नाली	पैतृक	पैतृक	पैतृक	पैतृक	5,00,000=00	-	पैतृक भूमि

1 - हल्द्वानी
क 24/03/2022

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम :- पूरन चन्द्र पन्त

पद नाम :- सहायक अभियन्ता

विभाग का नाम कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2021-2022 के लिए दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति अनुसार)

80

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - मोहन चन्द्र तिवारी

2. संवर्ग तकनीकी

3. वर्तमान धारित पद- सहायक अभियन्ता

4. वर्तमान वेतनमान 134500.00 सेवा 36 वर्ष

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम सम्पत्ति हो उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क़य लीज/बंधक/उत्तराधिकारी उपहार/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अमरगढ़/नरकैत पल्हड़ा	भूमि दो रकबा	आविनाश पटेल सम्पत्ति	पैदा	अज्ञात	अज्ञात	3.00 लाख	-	
नैनीताल/हल्द्वारी पालीघाट	भूमि 276 वर्ग मी. आवास	स्वयं	क़य (पिता) द्वारा क़य	06/02/1991	97000.00	82.80 लाख	-	2 L.K. H.F.L से ली 1 व G.P.F. की धनराशि से स्वयं निर्मित
नैनीताल/हल्द्वारी गिरकापुर तल्ला	भूमि 71.50 वर्ग मी. आवास	स्वयं	क़य	02/06/2009	2.50 लाख	28.60 लाख	-	क़य आवासीय क्षेत्र में स्वयं निर्मित
नैनीताल/हल्द्वारी गोबिन्दपुर गखवाल	भूमि 230.00 वर्ग मी.	श्रीमती सोमा तिवारी (पत्नी) द्वारा स्वयं अर्जित सम्पत्ति	क़य	25/2/2007	1.50 लाख	13.80 लाख	-	श्रीमती सोमा तिवारी (पत्नी) द्वारा स्वयं की आय से अर्जित
नैनीताल/हल्द्वारी गुलगाँव पुर	भूमि 23420 वर्ग मी.	- तैरा -	क़य	30/6/2007	9.5 लाख	51.50 लाख	-	तैरा

स्थान - हल्द्वारी

दि. 18/4/2022

12/6/2022
मोहन चन्द्र तिवारी
सहायक अभियन्ता
कार्यालय - मुख्य अभियन्ता के कार्यालय

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा प्रियंका वैजय अरोड़ा
3. वर्तमान धारित पद सहायक आगियंता (सिविल)

2. संवर्ग सहायक आगियंता (सिविल)
4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूनि एवं अन्य भवनों) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्यविवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	खालास - 2050 रवसरास - 2273 क्षेत्रफल 24.43 को.जी. मौजा, अर्क डिग्री ग्रंज, परगना अर्क डिग्री तहसील - सिर देहरादून	सिद्धार्थ अरोड़ा संव प्रियंका वैजय अरोड़ा (पति)	बंधक, सम्पत्ति श्री कुलदीप पंडेई पुत्र श्री के.आर पंडेई निवासी सहायक आगियंता रोड देहरादून	8/12/2017	33 लाख	45 लाख (लगभग)	—	—

स्थान- देहरादून
दिनांक- 06/04/2022

हस्ताक्षर Princa
अधिकारी का नाम प्रियंका वैजय अरोड़ा
पदनाम सहायक आगियंता (सिविल)
विभाग लो. सि. वि.

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 21-22 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा ई. कृति सेता 2. संदर्भ
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियंता (सिविल) 4. वर्तमान वेतनमान 6500.0

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>	<u>Nu</u>

स्थान- देहरादून
दिनांक- 13.5.2022

हस्ताक्षर Chhavi Saini
अधिकारी का नाम CHHAVI SAINI
पदनाम Assistant Engineer (Civil)
वर्तमान तैनाती स्थान E-in-C office Dehradun

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिस्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिस्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिस्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

(वर्ष - 2021) के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 को स्थिति का अनुसार)

सहायक अभियंता

सर्वर

वर्तमान वेतनमान 73200 + 1A

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
- वर्तमान धारित पद

तारा सिंह

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - चांदनी चौक तह. हल्द्वानी	आवास एवं कृषि भूमि (1.00 रुकड़)	तारा सिंह (स्वयं)	उत्तराधिकार	2006	-	160.00 लाख	1.50 लाख	पैतृक सम्पत्ति
ग्राम - धनपुरी तह. हल्द्वानी	भू-खण्ड (2412 Sqft)	- तदेव -	क्रय - राजेन्द्र सिंह 5% रुकड़ सिंह, ग्राम - हरिपुर - लालमार्ग (हल्द्वानी)	23.01.2013	2.88 लाख	8.50 लाख	-	-
ग्राम - मानपुर पश्चिम तह. हल्द्वानी	भू-खण्ड (2000 Sqft)	श्रीमती ज्योति (पत्नी)	क्रय - श्रीमती आनन्दी भट्ट 1/4 निरपानन्द भट्ट	16.07.2019	11.34 लाख	20.00 लाख	-	PNB HFL दे. 10.32 लाख रु. पर क्रय
ग्राम - किरानपुर तह. हल्द्वानी	आवास (भू-खण्ड सहित) 1800 Sqft	- तदेव -	ग्राम - भरसोली भट्ट - पिछोरा गढ़ क्रय - श्री उदीप चन्द्र पन्त हीरानगर हल्द्वानी	07.10.2021	45.00 लाख	45.00 लाख	-	LIC HFL दे. 42.00 लाख रु. पर क्रय

स्थान - डीडीएल
दिनांक - 03.01.2022

हस्ताक्षर _____ 01/03/22
अधिकारी का नाम तारा सिंह
पदनाम सहायक अभियंता
विभाग ले. नि. वि.

- टिप्पणी:
- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रण प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 - प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्व/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्व/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्व/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति की ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय इलेक्ट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

(वर्ष 2020 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा आनन्द छिरी
2. सर्वग
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता
4. वर्तमान वेतनमान 56622-177600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंदक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला - मैथिल तहसील - इलाहाबाद आनन्दपुरी केसरी की झुवाली बन्धारी	कुल 230.00 वर्ग मी. (अवन निर्मित)	आनन्द छिरी (पत्नी)	क्रय/अमली केसरी केसरी दफ्तर/उपहार/अन्य प्रकार	2012 2018	5.70 लाख 48.00 लाख	65.00 लाख	1.00 लाख	मैथिली केसरी दफ्तर/उपहार/अन्य प्रकार रु. 20.00 लाख
जिला - इलाहाबाद तहसील - इलाहाबाद की झुवाली बन्धारी	कुल 105.00 वर्ग मी.	आनन्द छिरी (पत्नी)	उपहार/अन्य प्रकार दफ्तर/उपहार/अन्य प्रकार (पिता)	2010	1.05 लाख	3.50 लाख	-	उपहार

स्थान:- सीरीया
दिनांक:- 31/3/2020

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम आनन्द छिरी
पदनाम सहायक अभियन्ता
विभाग प्रगती-कर्म-लोकोपयोगी

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कर की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कर मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कर कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र
(वर्ष 2021 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा के.श्याम लाल आर्य
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता सिविल

2. संवर्ग अभियन्ता
4. वर्तमान वेतनमान Level 10

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत ₹0 में	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय ₹0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वसन्त कुंज नई दिल्ली	FLAT-98 की मी०	स्वयं के नाम से	FLAT आवासीय प्रमोड हेतु	वर्ष 2008	12.30 लाख	30.00 लाख	—	वर्ष 2008 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित
दिल्ली-इंदौरा तहसील-इंदौरा जिला-मैत्रीलाल	भूमि 186.43 वर्ग मी०	श्रीमती कमला आर्य धर्मपत्नी	भूमि क्रय आवासीय भवन प्रमोड हेतु भवन निर्माण आवास हेतु (20 लाख GPF से रंग 10 लाख से रंग वन्त से)	वर्ष 2012 वर्ष 2021	4.39 लाख 30.00 लाख	10.00 लाख —	— —	— —

स्थान:- हरिद्वार
दिनांक:- 05/03/2022

हस्ताक्षर- के.श्याम लाल आर्य
अधिकारी का नाम- के.श्याम लाल आर्य
पदनाम- सहायक अभियन्ता
विभाग लो 0 नि 0 वि 0 हरिद्वार

टिप्पणी

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष- 31, दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31, जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का आदेश प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणी के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में यदि उस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्क/कमि हुयी हो तो तदनुसार अधिक्क/कमि के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्धि सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि कोई अधिक्क/कमि की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित की जाये।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 06 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो, तो स्तम्भ 02 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 06 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-

अटपिराज वर्मा / सहा. प्रशि.

2- संवर्ग- श्रेणी - स्तर

3- वर्तमान वारित पद-

सहा. प्रशि.

4- वर्तमान वेतनमान-

56100 - 177500

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/ उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.A.	—	—	—	—	—	—	—	

स्थान हरिद्वार।

दिनांक 5.3.22

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- अटपिराज वर्मा

पद नाम- सहायक आश्रित

विभाग- प्रांतीय खण्ड, लोडिंग/वि०, हरिद्वार

टिप्पणी-

1-

श्रेणी 'अ' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणीयों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2-

प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आविष्कार/कमी हुई हो तो तदनुसार आविष्कार/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपरक्त सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आविष्कार/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3-

यदि सम्पत्ति निम्नलिखित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में मूल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि प्लॉट कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

4-

अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।